तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/6/19	अभिभाषकगण अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 28.8.19 को वास्ते बहस पेश हो।
28-8-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई ~~बहस~~ पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3-9-19 को पेश हो।
3-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

6

(राजस्व प्रार्थना पत्र — 061/2015 अनवान मनीराम बनाम बृजलाल)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 061/2015

1. मनीराम
2. मुखराम
3. रणजीतराम
4. रूपराम

} पिसरान बीरबलराम जाति जाट निवासी चक नम्बर 7 यु.टी.एस. तहसील व जिला हनुमानगढ़

— — प्रार्थीगण

— :: बनाम ::—

1. बृजलाल
2. मोहनलाल
3. लालचन्द

} पिसरान सुलतानराम

4. रणजीत
5. श्योपत
6. सुभाष

} पिसरान भागीरथ

7. जमना देवी पत्नि सुलतानराम

} जाति जाट निवासी चक 9 यु.टी.एस. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

8. कलावती पुत्री सुलतानराम पत्नि मनीराम जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. सावित्री पुत्री सुलतानराम पत्नि रामकुमार जाट निवासी कुलार तहसील अबोहर जिला फाज्लिका।
10. तुलसी पुत्री सुलतानराम पत्नि भूपराम जाति जाट निवासी 34 एम.जे.डी. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
11. लेखराम
12. सोहनलाल

} पिसरान बख्तावर राम

13. विधा देवी पत्नि बख्तावर राम

} जाति जाट निवासी चक 7 यु.टी.एस. तहसील व जिला हनुमानगढ

14. सावित्री पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी 9 यु.टी.एस. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
15. सरस्वती पुत्री बख्तावर राम पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
16. मनीदेवी पुत्री बख्तावरराम पत्नि भजनलाल जाति जाट निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. कमला देवी पुत्री बख्तावरराम पत्नि श्री भीमसिंह जाति जाट निवासी कुलार तहसील अबोहर जिला फाज्लिका

— — असल अप्रार्थीगण

18. ओमप्रकाश पुत्र फताराम
19. किस्तुरी लाल पुत्र बीरबलराम

} जाति जाट निवासी चक 7 यु.टी.एस. तहसील व जिला हनुमानगढ़

—— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. बाबत रास्ता

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता प्रार्थीगण

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 03.09.2019

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 251 (क) आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चक नम्बर 7 यु. टी.एस. खाता संख्या 5/4 पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12,

लगातार 2

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

13, 18, 19, 22, 23 व पत्थर नम्बर 31/220 (58) किला नम्बर 1, 2, 3, 4/1 कुल 3.365 हैक्टर में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 व 19 का 3.289 हैक्टर का हक व हिस्सा सांझे खाते में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मुताबिक घरेलू बंटवारा पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 पर प्रार्थीगण का कब्जा कारत है तथा किला नम्बर 2 में प्रार्थीगण की ढाणी बनी हुयी है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक नम्बर 7 यु.टी.एस. खाता संख्या 5/4 सम्वत् 2071 से 74 सलंग्न प्रार्थना पत्र हैं

प्रश्नगत कृषि भूमि चक नम्बर 7 यु.टी.एस खाता संख्या 77/76 पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 1 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता स्व. सुलतानराम व अप्रार्थी संख्या 11 ता 13 के पिता स्व. बख्तावरराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक नम्बर 7 यु.टी.एस. खाता संख्या 77/76 सम्वत् 2071 से 74 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रश्नगत भूमि चक नम्बर 9 यु.टी.एस. पत्थर नम्बर 29/219 के किला नम्बर 1 ता 5 व पत्थर नम्बर 30/219 के किला नम्बर 1 ता 5 में से मंजूर शुदा 2-2 बिस्वा रास्ता चालू है तथा चक नम्बर 7 यू.टी.एस. के पत्थर नम्बर 31/219 किला नम्बर 1 की भूमि में से 2-2 बिस्वा रास्ता हमेशा से आज तक लगातार चालू है जो प्रार्थीगण के किला नम्बर 2 में प्रवेश करता है लेकिन पत्थर नम्बर 31/219 के किला नम्बर 1 का 2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मंजूर शुदा नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीगण को ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि वे उक्त रास्ता को बंद करेगे बस यही वाद कारण है। असल नजरी नक्शा चक नम्बर 9 यू.टी.एस. पटवार मण्डल उमेवाला दिनांक 23.03.2015 संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे यह रोशन है।

प्रश्नगत भूमि जो प्रार्थीगण के पैरा संख्या 1 में दर्ज है प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें आवागमन हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है पत्थर नम्बर 31/219 के किला नम्बर 1 में से मुरबा लाईन पर पश्चिम से पूर्व हमेशा से रास्ता चालू रहा है तथा मौका पर भी रास्ता चालू है प्रार्थीगण की फसल रबी (गेहूँ व सरसो) कास्त शुद्धा है अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नही होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के उक्त चालू रास्ता को जबरिया तौर पर बन्द करना चाहते है, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। तथा आईन्दा मुकदमें बाजी बढेगी व प्रार्थीगण के खेत का आवागमन अवरूद्ध हो जावेगा। इसलिए प्रार्थीगण पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाने के कानूनी मुस्तहक है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समुचित न्याय शुल्क पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर चक नम्बर 7 यु.टी.एस. खाता संख्या 77/76 के पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 1 के मुरब्बा लाईन पर पश्चिम से पूर्व सदामत से चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4, 6 ता 10 व 14 की और से दिनांक 18.06.2015 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा में कथन किया गया कि हम प्रार्थीगण नें अप्रार्थी बृजलाल वैगराह के विरूद्ध बाबत रास्ता चक नम्बर 7 यू.टी.एस. के खाता संख्या 77/76 के पत्थर नम्बर 31/219 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें बाबत किया हुआ है। जिसमें आज तारिख पेशी निश्चित है। अब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हो गया है। आईन्दा उक्त दावा में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है, कि उक्त रास्ता पत्थर नम्बर 31/219 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में राजीनामा के आधार पर दर्ज किया जाकर राजीनामा तस्दीक फरमाया जावे।

तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चक 7 यू.टी.एस. में वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 77 मेंपत्थर नम्बर 31/219 (57) के किला नम्बर 1 सुलतान बख्तावर पिसरान बुद्या कौम जाट साकिन गोलूवाला के नाम दर्ज है, उक्त मुरब्बा के किला नम्बर 1 ता 5 में मौका पर रास्ता चल रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है।

प्रार्थीगण उक्त पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा अर्थात 0.025 हैक्टर रकबा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

अप्रार्थी संख्या 8 ता 18 बाद तलबी उपस्थित नहीं आनें पर दिनांक 01.01.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें से प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि आम काश्तकार को अपनी भूमि की जोत हेतु रास्ते की नितान्त आवश्यक्ता होती है इस सन्दर्भ में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से रास्ते सम्बंधी राजीनामा हो चुका है अतः मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

— :: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 7 यु.टी.एस. खाता संख्या 77/76 के पत्थर नम्बर 31/219 (57) किला नम्बर 1 के मुरब्बा लाईन पर पश्चिम से पूर्व सदामत से चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाता है।

राजीनामा में रास्ते बदले में मुआवजा सम्बंधी कोई उल्लेख नहीं किया है तथा कुछ पक्षकारान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से बिना प्रतिफल के रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुआवजा राशि जमा होनें पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner